



प्रारूप-घ

औपबन्धिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मे० कानपुर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा आराजी नं० 623 मिन जुमला, आराजी नं० 622, आराजी नं० 621 और आराजी नं० 618 मिन जुमला ग्राम अमिलिहा तहसील बिल्हौर कानपुर नगर पर प्रस्तावित एफोर्डेबुल रेजीडेन्सियल हाउसिंग (रूद्र दिव्य ज्योत) जिसमें भूतल+प्रथम तल+द्वितीय+तृतीय तल एवं बेसमेन्ट की संख्या शून्य है, जिसकी ऊँचाई 12.30 मी० तथा प्लॉट एरिया 8442.00 वर्गमी० है। भवन का अधिभोग मे० कानपुर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०, सिविल लाइन कानपुर नगर द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन०बी०सी० एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०बी०सी०-2016 की रेजीडेन्सियल बिल्डिंग (ए-4)-सी(i) के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक-नवम्बर 04, 2018

स्थान:-कानपुर नगर

संलग्न:-सीएफओ कानपुर नगर द्वारा

प्रमाणित एफएसओ की निरीक्षण आख्या।

  
(एम०पी०सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
कानपुर नगर  
कानपुर नगर

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर को अभिलेखार्थ प्रेषित है।

महोदय,

कृपया मे 0 कानपुर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांकित 01.11.2018 के अनुपालन में मेरे द्वारा आराजी नं0 623 मिन जुमला, आराजी नं0 622, आराजी नं0 621 और आराजी नं0 618 मिन जुमला ग्राम अमिलिहा तहसील बिल्हौर कानपुर नगर पर प्रस्तावित एफोर्डेबुल रेजीडेन्सियल हाउसिंग(रूद्र दिव्य ज्योत) के प्रेषित मानचित्रों का परीक्षण किया तो प्रश्नगत भवन का विन्दुवार विवरण निम्नवत है:-

**भवन की संरचना :-**

1. कुल भूखण्ड एरिया 8442.00 वर्गमी0 ।
2. रो हाउसेज एण्ड लो राइज हाउसिंग कुल 59(जी+2) का कुल कवर्ड एरिया 9781.81 वर्गमी0
3. लो राइज हाउसिंग(फेज-1) का विवरण

क्रम सं0	तलवार विवरण	ब्लाक-ए का विवरण वर्गमी0 में	ब्लाक-बी का विवरण वर्गमी0 में
1	भूतल	449.59	902.94
2	प्रथम तल	449.59	902.94
3	द्वितीय तल	449.59	902.94
4	तृतीय तल	449.59	902.94

4. भवन की प्रत्येक ब्लाक ए, बी की ऊँचाई- 12.30 मी0
5. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत औद्योगिक भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 2016 की रेजीडेन्सियल बिल्डिंग(ए-4)-सी- (i) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढाँचागत व्यवस्था :-**

1. पहुँच मार्ग- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 21.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भूखण्ड में 01 प्रवेश/निकास द्वार 5.00 मी0 के प्रस्तावित है।
3. सैटबैक -  
ए-अग्रभाग-6.00 मी0 (प्रस्तावित)  
बी-पृष्ठभाग-5.00 मी0 (प्रस्तावित)  
सी-पार्श्व प्रथम-5.00 मी0 (प्रस्तावित)  
डी-पार्श्व द्वितीय-5.00 मी0 (प्रस्तावित)

उपरोक्तानुसार भवन के सेट बैक भवन निर्माण विकास उपविधि 2008(संशोधित) विनियमावली के अनुसार हैं। जिसे सदैव अवरोधमुक्त रखा जाये। सेट बैक में किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग- भवन में ब्लाक ए व ब्लाक बी में 1.20 मी0 चौड़ाई के 02-02 स्टेयरकेस का प्राविधान किया गया है जिसकी फ्लोर व समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. रिफ्यूज एरिया का विवरण- निल

**अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :-** नेशनल विल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी आवश्यक है-

1. भूमिगत टैंक- एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
2. पम्प- आवश्यक नहीं है।
3. होजरील- प्रत्येक ब्लाक में होजरील आई0एस0 884-1985, लैण्डिंग बाल्व आई0एस0-5290- 1993 के मानकों के अनुसार आवश्यक है।
4. यार्ड हाइड्रेंट, होज कैबिनेट एवं डिलेवरी होज, ब्रांचपाइप व फायर सर्विस इनलेट- एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

C.F.O.

5. हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम— एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
6. स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम— एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
7. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम— आवश्यक नहीं।
8. टैरेस टैंक— भवन के प्रत्येक ब्लाक में टैरेस पर 05,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक वांछनीय है।
9. टैरेस पम्प— प्रत्येक ब्लाक के टैरेस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता के टैरेस पम्प का प्राविधान आवश्यक है।
10. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)— सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशरों आई0एस0—2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
11. प्रस्तावित भवन में समस्त निकास मार्गों की प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रथक सर्किट पर आधारित वैकल्पिक विद्युत श्रोत(जनरेटर) का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
12. स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम— स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम—  
ए— फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग— आवश्यक नहीं है।  
बी— सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था— आवश्यक नहीं है।  
सी— स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण—आवश्यकता नहीं है।
13. प्रेशराइजेशन प्रणाली—  
1. स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैनस की डक्टिंग इत्यादि आवश्यक नहीं है।  
2. प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टर्लॉकिंग— आवश्यक नहीं है।
14. एक्विजट साइनेज— सम्पूर्ण भवन में एक्विजट साइनेज स्थापित किया जाना वांछनीय है।
15. पी0ए0 सिस्टम— पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में किया जाना वांछनीय है।
16. भवन निर्माण में यदि किसी प्रकार परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा व जीवरक्षा के दृष्टिकोण से एनबीसी 2016 के मानकों के अनुरूप अग्निशमन विभाग से पुनः प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आराजी नं0 623 मिन जुमला, आराजी नं0 622, आराजी नं0 621 और आराजी नं0 618 मिन जुमला ग्राम अमिलिहा तहसील बिल्हौर कानपुर नगर पर प्रस्तावित एफोर्डेबल रेजीडेन्सियल हाउसिंग(रूद्र दिव्य ज्योत) निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत करने की संस्तुति की जाती है कि उपरोक्तानुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0 2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनके निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।  
संलग्न:मूल पत्रावली।

(सुरेन्द्र चौबे)  
अग्निशमन अधिकारी,  
बिल्हौर, कानपुर नगर।

Certified  
C.P.G.  
M.  
C.P.G.